कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मैनग्रोव हर्बस इण्डिया, सालारपुर इण्डस्ट्रियल स्टेट के सामने बदायूँ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**077 / 11, 02.09.2011**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एन0 सी0 मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।**

उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मैनग्रोव हर्बस इण्डिया, सालारपुर इण्डस्ट्रियल स्टेट के सामने बदायूँ द्वारा उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न प्रश्न पूछे गये :-

1. क्या अपंजीकृत व्यापारी से खरीदे कच्चे माल को फार्म-ई के विरूद्ध बिक्री करने पर ऐसी खरीद पर कर देना होगा और यदि कर जमा कर दिया तो ऐसा कर आई0 टी0 सी0 के रूप में अनुमन्य होगा या नहीं।

2. क्या पंजीकृत से खरीद करके और वैट का भुगतान करके की गयी कच्चे माल की खरीद को अगर निर्माता निर्यातक को फार्म-ई से बेचा जाये तब ऐसे भुगतान किये गये वैट को आई0 टी0 सी0 के रूप में अनुमन्य किया जायेगा या नहीं और यदि हॉ तो क्या अन्य देय वैट में समायोजन किया जा सकता है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री एन0 सी0 मिश्रा उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा मेन्था ऑयल की खरीद करके निर्यातकों को बेचा जाता है जो मेन्थाल बनाकर निर्यात करते हैं। उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-13 के प्राविधानों के अनुसार निर्यात के दौरान बिक्री होने पर पूरी आई0 टी0 सी0 देय होती हैं। उनके द्वारा कहा गया कि निर्यातकों द्वारा मेन्थाल के निर्यात के लिए आदेश प्राप्त किये जाते हैं। उन आदेशों की प्रतिपूर्ति के लिए निर्यातकों द्वारा मेन्था ऑयल खरीदा जाता है। यह संव्यवहार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (3) के अन्तर्गत निर्यात के दौरान किया गया संव्यवहार है। अत: ऐसे निर्यातकों को फार्म-ई के विरूद्ध बिक्री करने पर पूर्ण आई0 टी0 सी0 देय है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया।

3. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा जो प्रश्न पूछे गये हैं, वह आई0 टी0 सी0 से सम्बन्धित हैं और आई0 टी0 सी0 का विनिश्चय, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1)) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का धारा-59 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या

....2

सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त प्राविधानों में आई0 टी0 सी0 से सम्बन्धित कोई प्रश्न उल्लिखित नहीं है । अत: धारा-59 के अन्तर्गत आई0 टी0 सी0 से सम्बन्धित प्रश्न पर कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न धारा-59 के प्राविधानों से आच्छादित न होने के कारण, धारा-59 का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 06 अगस्त, 2013

ह0 / 06.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ ।